न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेश जोशी
आर.ए.एस.

मिसल संख्याः	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
99 / प्रा0पत्र / 2019	06.12.2019	13.12.2019

मैसर्स देवी प्रकाश एग्रो इण्ड., बून्दी जरिये भागीदार प्रदीप कुमार ज्ञानचंदानी आ. श्री चांदमल जाति सिंधी निवासी न्यू कॉलोनी, बून्दी (राज.) – प्रार्थी

उपस्थित :–
प्रार्थी की ओर से – श्री राजकुमार गोयल, अभिभाषक।

–: निर्णय :–

राजस्थान न्यायालय फीस एवं वाद मूल्यांकन अधिनियम 1961 की धारा 65(ख) राजस्थान कोर्ट फीस स्टाम्प वैल्यूएशन रूल्स 1961 के नियम 27(1) तथा राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.2(5) वित्त कर 03 दिनांक 24.06.2003 के अनुसार कोर्ट फीस स्टाम्प रिफण्ड के लिये श्रीमान् जिला कलक्टर, बून्दी के आदेश क्रमांक 646–649 / रीडर / 2018 दिनांक 12.04.2018 से अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी को अधिकृत किया गया है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी मैसर्स देवी प्रकाश एग्रो इण्ड., बून्दी जरिये भागीदार प्रदीप कुमार ज्ञानचंदानी आ. श्री चांदमल जाति सिंधी निवासी न्यू कॉलोनी, बून्दी (राज.) ने जर्ये अभिभाषक श्री राजकुमार गोयल द्वारा दिनांक 02.12.2019 को पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रार्थी के अभिभाषक की बहस सुनी गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि प्रार्थी ने अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्र.सं.–02, बून्दी में दीवानी वाद सं.–57 / 2017 उनवान देवी प्रकाश एग्रो इन्ड., बून्दी बनाम आदिनाथ फ्लोर मिल, बून्दी का सुलह की भावना से निर्णय हुआ है। जिसमें कोर्ट फीस वादी को वापिस लोटाये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। अतः कोर्ट फीस स्टाम्प की राशि वापिस प्रार्थी को लोटाई जावे। इस संबंध में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्र.सं. 02, बून्दी, ने प्रमाण पत्र सं. 717 दिनांक 15.11.2019 द्वारा जारी किया गया है। जिसमें प्रार्थी को कोर्ट फीस 50,400 / – रूपये

वापस लौटाये जाने का आदेश पारित हुआ है। अतः मैसर्स देवी प्रकाश एग्रो इण्ड., बून्दी जरिये भागीदार प्रदीप कुमार ज्ञानचंदानी आ. श्री चांदमल जाति सिंधी निवासी न्यू कॉलोनी, बून्दी (राज.) को कोर्ट फीस राशि 50,400/- रूपये का भुगतान किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अभिभाषक प्रार्थी पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न न्यायालय अपर जिला एवं न्यायाधीश क्र.सं.-02, बून्दी के पत्र सं. 717 दिनांक 15.11.2019 से प्रार्थी को न्याय शुल्क (कोर्ट फीस) राशि 50,400/- रूपये (अक्षरे-पचास हजार चार सौ रूपये) लौटाने के आदेश दिये गये है। न्यायालय अपर जिला एवं न्यायाधीश, क्र.सं.-02, बून्दी के आदेश की पालना में प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कोर्ट फीस स्टाम्प 25,000/- रूपये के 02 नग, स्टाम्प नम्बर 040326 से 040327 तक, स्टाम्प 200/- के 02 नग, स्टाम्प नम्बर 035568 से 035569 कुल नग 02, कुल नग 04 कुल स्टाम्प राशि 50,400/-रू0 राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 2 (5) F.D./कर/03 दिनांक 24.06.2003 के अनुसार राजस्थान कोर्टफीस एण्ड सूट वेलूऐशन रूल्स् 1961 के नियम 27 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी को 50,400/- रूपये राज्य सरकार के पत्रांक प. 2 (32) F.D./कर/06 दिनांक 07.03.2007 के अनुसार स्टाम्प रिफण्ड कटौती 6.25 प्रतिशत की दर से 3150/- रू0 की कटौती करते हुये शेष राशि 47250/-रूपये (अक्षरे-सैतालीस हजार दौ सौ पचास रूपये) का भुगतान प्रार्थी मैसर्स देवी प्रकाश एग्रो इण्ड., बून्दी जरिये भागीदार प्रदीप कुमार ज्ञानचंदानी आ. श्री चांदमल जाति सिंधी निवासी न्यू कॉलोनी, बून्दी (राज.) को करने की स्वीकृति दी जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 13.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश जोशी, R.A.S.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बून्दी (राज0)